



संतकबीरनगर पुलिस



जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 03.03.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता भीमसेन पुत्र हीरालाल निवासी उमिला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 दीनानाथ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता जाफर पुत्र नवी निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शम्भूराम, का0 दीपक कुमार व कां0 अनुराग गुप्ता।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3316 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3316 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत पिपरा प्रथम से इवेंट संख्या 19607 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 03 लोगों (1- रामनवल निवासी पिपरा प्रथम 2- पुजारी पुत्र डाकू निवासी कनरापार थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 3- रजनीकान्त पुत्र रामदरश निवासी ग्राम घडसरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद में घायल लोगों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी में हदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद में घायल लोगों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 आशुतोष वर्मा, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद।**



@santkabinagpol



Pro Cell Santkabinagar



spsantkabinagar



संतकबीरनगर पुलिस



मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 56 वाहनों से 67500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 56 वाहनों से 67500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।



@santkabinagpol



Pro Cell Santkabinagar



spsantkabinagar